

झारखण्ड सरकार,  
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

राँची, दिनांक-01.09.2023

संख्या :- 7/स्था0-803/2018 का. 4970/ प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2442 दिनांक-16.08.2023 से प्राप्त अनुरोध के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-3848 दिनांक-07.07.2023 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए अधिसूचना की कंडिका-1 की तालिका के क्रम संख्या-38 पर अंकित श्री संदीप भगत, प्रशाखा पदाधिकारी, वित्त विभाग को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड राँची तथा क्रम संख्या-44 पर अंकित श्री आकाश राज, प्रशाखा पदाधिकारी, वित्त विभाग, झारखण्ड राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची में किये गये स्थानान्तरण/पदस्थापन सम्बन्धी आदेश को रद्द किया जाता है।

2. श्री संदीप भगत तथा श्री आकाश राज पूर्व की भाँति प्रशाखा पदाधिकारी, वित्त विभाग झारखण्ड, राँची के पद पर बने रहेंगे।

3. उक्त अधिसूचना की शेष कंडिकाएँ यथावत् लागू रहेंगी।

4. प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(अनल प्रतीक मिंज)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :- 7/स्था0-803/2018 का. 4970/राँची, दिनांक-01.09.2023

प्रतिलिपि :- चेर्डल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

01/09/23

सरकार के उप सचिव।